

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:—ई-11/नर्स-2/सेवानिवृति 12-18/ 18/

दिनांक:—

आदेश

निम्नांकित कार्मिकों की राज्य सेवा में अधिवाषिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर उनके सम्मुख अंकित दिनांक को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र०स०	नाम कार्मिक मय पद मय पदस्थान स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृति तिथि
1	श्री अब्दुल सलीम कुरेशी, नर्स-2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन (सीकर)	08.07.58	31.07.18
2	श्री पुरुषोत्तम लाल कुर्मी फार्मासिस्ट कम कम्पाउण्डर अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक	31.07.58	31.07.18

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक के विरुद्ध आज दिनांक तक—

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लंबित नहीं है।

—Sd/—

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये


राजस्थान जयपुर।

दिनांक:— 26/02/2018

क्रमांक:—ई-11/नर्स-2/सेवानिवृति 12-18/ 18/255

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक,पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग,राज.जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,जोन जयपुर/अजमेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक/सीकर।
4. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. डीपीसी सैल (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राजस्थान जयपुर।